अनुमण्डल कार्यालय, सदर, पूर्णिया

अल्पकालीन सूचना

सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत कसबा प्रखंड के बनैली पंचायत में विकास मित्र के दिनांक-17.06.23 को मृत्यु होने के कारण रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजित हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य दिवस को संबंधित प्रखंड कार्यालय, कसबा में जमा किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है :-

क्र	कार्य विषय	दिनांक
1	अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन	23.11.2023
2	प्रखंड वार रिक्तियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन	05.12.23
3	संबंधित प्रखंड में आवेदन प्राप्त करना	10.12.23 से 18.12.23
4	मेधा सूची तैयार करना एवं मेधा सूची का प्रकाशन	21.12.23
5	मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निष्पादन करना	23.12.23 से 27.12.23
6	चयन सूची का अनुमोदन	28.12.23
7	चयन सूची का अंतिम प्रकाशन, आपत्ति प्राप्त करना, आपत्ति का निराकरण करना एवं नियोजन सूची का प्रकाशन	29.12.23 से 01.01.24
8	नियोजन पत्र का वितरन, शपथ ग्रहण एवं उन्मूखीकरण कार्यशाला	02.01.24

रिक्तियों की विवरणी :-

क्र0	प्रखंड का नाम	रिक्तियों की सं0(मृत्यु के कारण)	पंचायत का नाम	जाति बहुलता	कोटि आरक्षण
1	कसबा	01	बनैली	मुसहर(सामान्य)	महिला/पुरूष

चयन हेतु अर्हता :-

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जाएगा तथा सामान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नन मैट्रिक, नौवीं पास, आठवीं पास, सातवीं पास एवं पाँचवीं पास का नियोजन किया जा सकेगा।
2. महिलाओं के शैक्षनिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयन किया जा सकता है, बशर्ते वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हों। इस प्रकार के महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा योग्य अभ्यर्थी के चयन से सविवेक निर्णय लिया जाएगा।
3. जब एक ही शैक्षनिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होगें, वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र कम(जन्म तिथि के आधार पर) हो का चयन किया जाय।
4. अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षनिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी सविवेक से आवेदक का चयन करेंगे।
5. मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. अनुसूचीत जाती अंतर्गत मुसहर(सामान्य) वर्ग के आवेदक/आवेदिका की उम्र दिनांक-01.01.223 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक या समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. आवेदक/आवेदिका अनुसूचीत जाति अंतर्गत मुसहर परिवार से होगा।
8. जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं उनका चयन किया जाना है।

चयन की प्रक्रिया :-

1. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए, जो प्रखंड कार्यालय, कसबा से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान प्रखंड विकास पदाधिकारी, कसबा का कार्यालय होगा।
3. आवेदन के साथ आवश्यक अनुलग्नक (क) मैट्रिक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। नन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवीं से पाँचवीं पास तक के अभ्यर्थियों के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति। (ख) जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र।
4. प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड कलेस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
5. अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्र का चयन किया जाएगा।

02/12/23

अनुमण्डल पदाधिकारी,
02.12.23 सदर, पूर्णिया